प्रेस विज्ञप्ति

27.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने 13.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है जिसमें अमित कुमार उर्फ बच्चा राय व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में शामिल एक व्यक्ति और ट्रस्ट को दोषी ठहराने की मांग की गई है। आरोपी व्यक्तियों में विशुन राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (वीआरटीटी) के सचिव सैयद महताब आलम और विशुन रॉय मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट (ट्रस्टी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के माध्यम से) शामिल हैं। माननीय न्यायालय ने एसपीसी का संज्ञान लिया है।

इस मामले में ईडी, पटना ने पहले 09.12.2023 को 04 स्थानों पर तलाशी ली थी जिसमें आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय से जुड़े परिसरों से **2.78 करोड़ रुपये** की भारी नकदी बरामद की गई थी और उसे जब्त कर लिया गया था। इसके बाद, यह जानकारी बिहार पुलिस के साथ साझा की गई और उसके परिणामस्वरूप, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों से संबंधित बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के खिलाफ पीएस - भगवानपुर, वैशाली द्वारा एक नई एफआईआर संख्या 88/2025 दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अमित कुमार उर्फ बच्चा राय और वीआरटीटी कॉलेज के अधिकारियों/कर्मचारियों ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में अवैध रूप से धन की हेराफेरी की, जो एक संज्ञेय अपराध है।

जांच के दौरान, ईडी ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां वीआरटीटी कॉलेज के माध्यम से वैध शिक्षा प्रदान करने की आड़ में, आरोपी व्यक्तियों द्वारा बिना किसी कक्षा के बीएड, एमएड और डीएलएड की डिग्री प्रदान की जा रही थी। यह पाया गया कि आरोपी व्यक्ति इस तरह की फर्जी डिग्री प्रदान करने के लिए नियमित कॉलेज की फीस से अलग प्रीमियम राशि लेते थे। जांच में पता चला है कि वीआरटीटी कॉलेज द्वारा **9.34 करोड़ रुपये** (लगभग) की अपराध की आय एकत्र की गई है जिसे अमित कुमार उर्फ बच्चा राय द्वारा वीआरटीटी कॉलेज के सचिव सैय्यद महताब आलम के साथ मिलीभगत करके फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है। इस मामले में, ईडी ने पहले 31.03.2018 को 4.52 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।